एस०बी० जोशी
अपर राज्य परियोजना निदेशक

"उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद"
राज्य परियोजना कार्यालय
ननूरखेड़ा (निकट विद्यालयी शिक्षा निदेशालय)
तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून(उत्तराखण्ड)
दूरभाष 0135-2781941, 2781942, 2781943
Website: http://ssa.uk.gov.in
E-mail: spd-ssa-uk@nic.in

सेवा में,

जिला परियोजना अधिकारी,
जनपद–देहरादून एवं हरिद्वार,
उत्तराखण्ड।

अत्यावश्यक / तत्काल

पत्रांक– अ०रा०प०नि०/ 101 / RTE-सा०मा०पत्रा०/ 2019–20 दिनांक 23 अप्रैल, 2019

विषयः– आर०टी०ई० की धारा 12(1)(C) के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश हेतु दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के पत्र सं० अ०रा०प०नि०/73/(07)RTEVol II/2018-19 दिनांक 12 अप्रैल 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आर०टी०ई० में बच्चों के प्रवेश हेतु पूर्व वर्ष की भांति जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं चमोली में ऑनलाइन तथा शेष जनपदों में ऑफलाइन प्रकिया अपनायी जायेगी। पत्र के साथ जनपदों के सुलभ संदर्भ हेतु प्रवेश प्रकिया से सम्बन्धित समय सारिणी भी संलग्न कर प्रेषित की गयी थी जो निम्नवत है–

जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं चमोली (ऑनलाइन प्रकिया) हेतु समय सारिणी

कार्यकम हेतु रूपरेखा	अन्तिम तिथि
समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करने हेतु अन्तिम तिथि	19 अप्रैल 2019
ऑनलाइन पोर्टल में स्कूल रजिस्ट्रेशन	20 अप्रैल 2019 से 28 अप्रैल 2019 तक
छात्रों हेतु ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन	29 अप्रैल 2019 से 13 मई 2019 तक
विद्यालयों में प्रवेश हेतु लॉटरी प्रकिया	15 मई 2019
लॉटरी परिणाम उप शिक्षा अधिकारी कार्याल में चस्पा/पोर्टल पर लॉटरी परिणाम उपलब्ध कराने की तिथि	16 मई 2019

शेष 10 जनपद (जहाँ पूर्व की भाँति ऑफलाइन प्रकिया अपनायी जानी है) हेतु समय सारिणी

कार्यकम हेतु रूपरेखा	अन्तिम तिथि
समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करने हेतु अन्तिम तिथि	19 अप्रैल 2019
प्रवेश सम्बन्धी आवेदन पत्रों का मुद्रण	13 अप्रैल 2019 से 19 अप्रैल 2019 तक
विकासखण्ड एवं संकुल स्तर पर आवेदन पत्र उपलब्ध कराये जाने की अन्तिम तिथि	20 अप्रैल 2019
छात्रो हेतु आवेदन पत्र जमा करने हेतु अन्तिम तिथि	10 मई 2019
विकासखण्ड स्तर पर आवेदन पत्रों की जॉच	12 मई 2019
विद्यालयो में प्रवेश हेतु लॉटरी प्रकिया	15 मई 2019
लॉटरी परिणाम उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चस्पा	16 मई 2019

इसी कम मे जनपदों के द्वारा की गयी पृच्छा के कम में अवगत कराना है कि गत वर्ष निजी विद्यालयों के सत्यापन से सम्बन्धित आ रही समस्या के दृष्टिगत इस वर्ष सभी उपशिक्षा अधिकारी अपने विकासखण्ड में स्थित निजी विद्यालयों की मान्यता तथा उसके स्थानीय निकाय–वॉर्ड/ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर इकाई का सत्यापन कर इस आशय का घोषणा पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। जिन जनपदों में आर०टी०ई० के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रवेश प्रकिया अपनायी गयी है उनमें घोषणा पत्र उपशिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल में भी अपलोड किया जाना होगा। अभिभावकों द्वारा

Scanned by CamScanner

भी पोर्टल पर आवेदन पत्र अपलोड करने हेतु इस आशय का घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/दस्तावेज सत्य हैं। यदि कोई सूचना/दस्तावेज भ्रामक/असत्य पाये जाते हैं तो उनका आवेदन निरस्त समझा जायेगा तथा उनके विरूद्ध विभाग द्वारा विधिक कार्यवाही की संस्तुति की जायेगी।

दिनांक 16 मई से 30 मई 2019 तक ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से करायी गयी लॉटरी द्वारा चयनित छात्रों के अभिभावक उपशिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपने वांछित मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होंगे। मूल अभिलेखों की जॉच के उपरान्त आवेदन पत्र के साथ अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र एवं सभी सम्बन्धित अभिलेखों की दो–दो स्वप्रमाणित छायाप्रति उपशिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा की जायेंगी।

कार्यालय द्वारा चयनित छात्रों की पृथक–पृथक 02 फाईल बनायी जायेगी। एक छात्र फाईल सम्बन्धित निजी विद्यालय जहां छात्र का प्रवेश हुआ है, को प्रेषित की जायेगी तथा दूसरी फाईल कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। यह प्रकिया दिनांक 15 जून 2019 तक सम्पन्न की जानी है। दिनांक 15 से 30 जून 2019 तक सम्बन्धित निजी विद्यालयों द्वारा चयनित छात्रों को प्रवेश हेतु अनिवार्यतः सूचित किया जाना है। यह प्रकिया सभी जनपदों (ऑफलाइन तथा ऑनलाइन) द्वारा अपनायी जानी है।

कार्यकम हेतु रूपरेखा	अन्तिम तिथि
दिनांक 16 से 30 मई 2019 तक	अभिभावक वांछित मूल अभिलेख उपशिक्षा अधिकारी कार्यालय में जांच हेतु उपलब्ध करायेंगे। साथ ही वांछित अभिलेख की दो–दो स्वप्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में जमा करायेंगे।
दिनांक 01 से 15 जून 2019 तक	चयनित छात्रों की एक फाईल विद्यालय को उपलब्ध कराना।
दिनांक 15 से 30 जून 2019 तक	निजी विद्यालयों द्वारा चयनित छात्रों को प्रवेश हेतु सूचित करना।

अतः उक्त के आलोक में समस्त जनपद दिनांक 01 जुलाई 2019 तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया को समयसारणी के अनुसार सम्पन्न करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एस0बी0जोशी)
अपर राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड देहरादून।

पृ0सं0– अ0रा0प0नि0/ 101 /RTE-सा0मा0पत्रा0/2019–20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–(1) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) समस्त उप शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(एस0बी0जोशी)
अपर राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड देहरादून।

Scanned by CamScanner